

कार्यालय देवघर नगर निगम, देवघर।

आम सूचना


सभी तम्बाकू उत्पादों के खुदरा विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि देवघर नगर निगम क्षेत्र में तम्बाकू उत्पाद बेचने हेतु अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक है। अनुज्ञप्ति लेने हेतु निम्न मुख्य शर्तें हैं :-

1. स्थायी दुकानदारों - अनुज्ञप्ति शुल्क 1000/- रु० प्रतिवर्ष
2. गुमटी/अस्थायी दुकानदारों - अनुज्ञप्ति शुल्क 600/- रु० प्रतिवर्ष
3. आधार कार्ड/शपथ पत्र/TIN/PAN/GST No. होना अनिवार्य
4. तम्बाकू उत्पाद विक्रेता, गैर तम्बाकू उत्पाद जैसे कि टाफी, चिप्स, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि जो बच्चों हेतु हो नहीं बेचेंगे।

शेष शर्तें कार्यालय से संपर्क कर ज्ञात किया जा सकता है।

अतः सभी से अनुरोध है कि दिनांक 20.01.19 तक अनुज्ञप्ति लेना सुनिश्चित करेंगे।

नोट :- उपरोक्त सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन नगर आयुक्त, देवघर नगर निगम के नाम से कार्यालय में समर्पित करें।


नगर आयुक्त,

देवघर नगर निगम, देवघर।

ज्ञापांक 3685 / दिनांक 27/12/2018

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी से अनुरोध है कि उपरोक्त विषय को स्थानीय समाचार पत्र (किन्हीं दो में) प्रकाशित करवाने की कृपा करेंगे।


नगर आयुक्त,

देवघर नगर निगम, देवघर।

ज्ञापांक 3685 / दिनांक 27/12/18

प्रतिलिपि :- रोकड़पाल/सभी कर संग्रहक, दे०न०नि० को सूचनार्थ एवं अग्रतर कारवाई हेतु प्रेषित।


नगर आयुक्त,

देवघर नगर निगम, देवघर।

देवघर नगर निगम क्षेत्र में प्लास्टिक कैंरी बैग प्रतिबंधित है।

DEOGHAR MUNICIPAL CORPORATION.

APPLICATION FORM FOR LICENSE OF SALE OF
TOBBACO

APPLICATION NO.....

1. NAME OF THE APPLICANT
2. FATHER'S/HUSBAND NAME
3. ADDRESS
4. GENDER
5. NATIONALITY
5. AADHAR
6. PAN/TIN/GST NO
7. TYPE OF SHOP : GHUMTI/SHOPS

I do hereby declare that all the above information are correct to the best of my knowledge and will adhere to all the rules and regulations framed by the govt. for the sale of Tobbacco Products.

Signature of the Applicant.

देवघर नगर निगम क्षेत्र में प्लास्टिक कैंरी बैग प्रतिबंधित है।